कार्यालयः महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली-110002

सेवा में,

____

____

____

____

____

____

विषयः डैजर्ट कूलरों, वाटर कूलरों एवं एयर कंडीशनरों के वार्षिक (वर्ष 2019-20) रखरखाव अनुबन्ध के लिए मोहर बन्द निविदा हेतु ।

महोदय,

कार्यालय अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (केन्द्रीय व्यय), एवं (केन्द्रीय प्राप्ति) के द्वारा 17 अप्रैल 2019 से 17 अक्तूबर 2019 की अवधि (06 माह) के लिए डैजर्ट कूलरों (लगभग 19/0) के रखरखाव एवं उनमें पानी भरने, एयर कंडीशनरों (लगभग 117/40) एवं वाटर कूलरों (लगभग 05/02) की सर्विस एवं रखरखाव का अनुबन्ध दिया जाना हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्य के लिए अपनी न्यूनतम दरों की मोहरबन्द निविदा भेजें जिसमें निम्न विवरण होः-

1. **डैजर्ट कूलरः-**

(अ) **कूलरों के रखरखाव की दर ----------------** प्रति कूलर छः माह के लिए
(पानी भरने और कार्यालय द्वारा स्वीकृत अच्छी गुणवत्ता के पैड सहित)

नोटः- **निम्नलिखित के लिए उपरोक्त दरों के अलावा कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।**

(क) कार्यालय के सभी कूलरों में पानी भरने का कार्य प्रतिदिन दो बार प्रातः 9 बजे तक तथा दोपहर में 2.00 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए अन्यथा भुगतान के पैसों में अनुपातिक कटौती की जाएगी।

(ख) पानी भरने के लिए पाईप अनुबन्ध प्राप्त करने वाली फर्म को उपलब्ध करवाने होंगे, तथा उनकी रखरखाव की जिम्मेवारी फर्म की होगी।

(ग) कार्यालय के कूलरों में पानी भरने तथा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने के लिए फर्म अपने कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी।

(घ) कार्यालय के सभी एयर कूलरों की सप्ताह में एक बार सफाई की जिम्मेवारी फर्म की होगी तथा मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए सभी कूलरों में मिट्टी का तेल या पैट्रोल भी डालना होगा। उपरोक्त सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना

होगा। इस संदर्भ में नगर निगम के निर्देशों का पालन न करने के लिए यदि कोई चालान होता है तो केवल ठेकेदार ही इसके लियें स्वयं जिम्मेदार होगा।

(ड.) अनुबंध के अंत में अथवा कूलरों में पानी के भराव बंद होने पर सभी कूलरों के पैड हटा कर कूड़ाघर में डलवाने होंगे।

(च) यदि किसी दिन पानी भरवाने का कार्य फर्म द्वारा नही करवाया गया तो वह कार्य किसी अन्य से करवाया जाएगा तथा इसके एवज में उस का वास्तविक खर्च फर्म को देय बिल में से काट लिया जाएगा।

(छ) अनुबंध की अवधि के दौरान पांच सही कूलर के पंप व मोटरें कार्यालय के खराब हुए पंप को तुरंत बदलने के लिए अतिरिक्त रखने होंगे।

(ज) अनुबंध के शुरू एवं अन्त में सभी कूलरों की अंदर व बाहर से अच्छी तरह सफाई करवानी होगी।

(ड्रैजर्ट कूलर के लिए निम्न वस्तुओं के बदलने/लगाने की दरः-
(अनुबंध के आरंभ में इन वस्तुओं के खराब पाए जाने की स्थिति में)

(i) कूलर की पम्प की मरम्मत की दरें (कूलर में फिटिंग सहित):- ....
(ii) कूलर की मोटर की मरम्मत की दरें ....
(iii) नया पम्प बदलने की दर ....
(iv) नई मोटर बदलने की दर ....
(v) ग्रिल (प्लास्टिक) ....
(vi) तार (3 कोर) ....
(vii) प्लग (5 एम्पियर) बैकोलाईट ....
(viii) प्लग (15 एम्पियर) बैकोलाईट ....
(ix) कन्डेन्सर ....
(x) जाली सैट ....
(xi) ड्रैजर्ट कूलर का पंखा बदलने की दर ....
(xii) ड्रैजर्ट कूलर के किसी अन्य पुर्जे को बदलने की दर (पुर्जों के नाम सहित) ....
(xiii) रुम कूलर के किसी अन्य पुर्जे को बदलने की दर (पुर्जो के नाम सहित) ....
(xiv) ड्रैजर्ट कूलर (अन्दर बाहर) पंखा, पंप व कूलर की पानी की टंकी पर रंग कराने की दर (**Sand paper द्वारा साफ कर Red oxide (primer) लगाकर अच्छी गुणवत्ता का enamel paint, spray द्वारा**) ....

2. एयर कंडीशनर के लिए

सभी यंत्रों की सफाई (Servicing) दो बार (अनुबंध के आरंभ तथा आखिर में) करना अनिवार्य है।

(अ) रखरखाव **प्रति यंत्र छःमाह के लिए**

(i) वातानुकूलित यंत्रों (Window A C) के लिए रख-रखाव की दरें बिना कम्प्रैसर ....
(ii) वातानुकूलित यंत्रों (Window A C) के लिए रख-रखाव की दरें मय कम्प्रैसर के रखरखाव के ....

(iii) वातानुकूलित यंत्रों (Split A C) के लिए रख-रखाव की दरें बिना कम्प्रैसर के रखरखाव के.................................

(iv) वातानुकूलित यंत्रों (Split A C) के लिए रख-रखाव की दरें मय कम्प्रैसर के रखरखाव के..

(v) वातानुकूलित यंत्रों (split heat & cool A C) के लिए रख-रखाव की दरें बिना कम्प्रैसर के रखरखाव के ....

(vi) वातानुकूलित यंत्रों (split heat & cool A C) के लिए रख-रखाव की दरें मय कम्प्रैसर के रखरखाव के ....

(ब) एयर कंडीशनर के लिए निम्न वस्तुएं बदलने की दर

(अनुबंध के आरंभ में इन वस्तुओं के खराब पाए जाने की स्थिति में)

(i) कम्प्रैसर को बदलने सहित सर्विस की दरें ....

(ii) गैस भरने के चार्ज ....

(iii) नोब स्विच ....

(iv) फिल्टर (प्लास्टिक जाले वाले) ....

(v) कम्प्रैसर मरम्मत ....

(vi) ग्रिल ....

(vii) बॉडी ....

(viii) थरमोस्टेट ....

(ix) स्टार्टिंग केपेसिटर ....

(x) रनिंग केपेसिटर ....

(xi) मैटल टॉप प्लग (ISI) ....

(xii) विभिन्न कल पुर्जो को बदलने सहित सर्विस की दरें; ....

(xiii) बॉडी पर रंग-रोगन करने की दरें ....

(xiv) ए.सी.की मोटर की मरम्मत की दरें (ए.सी में फिटिंग सहित):- ....

(xv) ए.सी.की नई मोटर बदलने की दरें ....

3. वाटर कूलर

(अ) रखरखाव के लिए दरें प्रति वाटर कूलर छः माह के लिए

(ब) वाटर कूलर के लिए विभिन्न कल पुर्जे बदलने के लिए निम्न वस्तुओं की दरें

(अनुबंध के आरंभ में इन वस्तुओं के खराब पाए जाने की स्थिति में)

(i) कम्प्रैसर बदलने सहित सर्विस की दरें। ....

(ii) नल की टोंटी बदलने की दर। ....

(iii) रनिंग केपेस्टर ....

(vi) स्टार्टिंग केपेस्टर ....

(v) मैटल टॉप प्लग (ISI) ....

विशेष :-

(i) सभी कूलर, एयरकंडीशनर तथा वाटर कूलर अनुबंध के आरम्भ में चालू हालत में दिए जायेंगे तथा अनुबंध खत्म होने पर चालू हालत में लिए जायेंगे ।

(ii) कार्यालय के सभी वाटर कूलरों की सप्ताह में एक बार सफाई(बाहर से व अन्दर से) की जिम्मेवारी फर्म की होगी। उपरोक्त सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा। इन सब के लिए कार्यालय से अनुबन्ध के अलावा कोई भी अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

(iii) फर्म द्वारा प्रतिदिन एक ए.सी. मैकेनिक नियुक्त करना होगा एवं एक पानी भरने वाले कर्मचारी नियुक्त करना होगा । इसके अतिरिक्त मैकेनिक एवं लड़के जरूरत के हिसाब से देने होगे ।

(iv) फर्म द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति कूलरों में पानी का भराव कार्यालय द्वारा मना करने पर भी अनुबंध की अवधि (06 माह) तक कार्यालय में ही रहेगें।

(v) मुहर बंद निविदाए, कल्याण अधिकारी/व.ले.प.अधिकारी (कल्याण) को सम्बोधित करते हुए कार्यालयः महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय),ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002 को प्रेषित की जानी चाहिए। निविदा दाता अपनी निविदा के साथ पूर्व में किए गए कार्यों के completion certificates की प्रतियां भी लगाएं । **निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16.04.2019 सायं 12.00 बजे तक है। निविदाए 16.04.2019 को सांय 3.30 बजे खोली जाएगी।**

(vi) कार्यालय में निविदा भेजने वाली फर्मो को निविदा के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा),दिल्ली [PAO, O/o AG (Audit),Delhi] के पक्ष में रू. 10,000/- (दस हजार रुपये) का माँग पत्र (Demand Draft) जमा करवाना होगा। अनुबन्धित होने वाली फर्म का माँग पत्र (Demand Draft) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करा ली जायेगी तथा शेष फर्मों को माँग पत्र वापिस कर दिये जायेंगे।

(vii) प्रस्तुत कार्य के लिये चुनी गई फर्म की प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा अनुबन्ध के सन्तोषजनक समाप्त होने तक कार्यालय में रखी जायेगी।

(viii) असन्तोषजनक सर्विस होने की दशा में अनुबन्ध एक सप्ताह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है तथा फर्म की देय राशि पर विचार नहीं किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

(ix) फर्म के बिलों में से सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयकर की कटौती की जायेगी।

(x) फर्म अपनी दरें जी.एस.टी.सहित प्रस्तुत करें ।

(xi) कार्यालय द्वारा अनुबंध उसी फर्म को दिया जाएगा जिसकी डेज़र्ट कूलर, वाटर कूलर तथा वातानुकूलित यंत्रों के रखरखाव की दरें कुल मिलाकर कम होगी।

(xii) **सभी यंत्र दिनांक 21 अप्रैल 2019 को चालू हालत में तैयार होने चाहिए।**

व.ले.प.अधिकारी (कल्याण)